



APNA GHAR PG

घर से दूर, अपने घर जैसी सुरक्षा और सुविधा वाला पीजी
(ONLY FOR WOMEN & GIRLS)

□ पीजी नियम एवं दिशानिर्देश (प्रभावी तिथि: 30 अप्रैल 2025)

पता: गांव और डाकघर - बासलांबी, गुरुग्राम, हरियाणा-122503

संपर्क: श्रीमती वीना त्रेहान - 9974442832

□ 1. जमा एवं भुगतान नियम

- **सुरक्षा जमा:** 1 महीने के किराए के बराबर। बकाया राशि (बिल्डिंग और वस्तुओं को कोई नुकसान, भुगतान न किए गए शुल्क, आदि) की कटौती के बाद चेक-आउट के समय वापसी योग्य।
- **अग्रिम किराया:** चेक-इन से पहले 1 महीने का किराया चुकाना होगा। सुरक्षा जमा राशि को किराए के तौर पर समायोजित नहीं किया जाएगा।
- **मासिक किराया भुगतान:** प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देय। देरी से भुगतान करने पर ₹100/दिन का जुर्माना लगेगा।
- **बिजली शुल्क:** सब-मीटर रीडिंग के अनुसार मासिक आधार पर लिया जाएगा। उच्च शक्ति वाले उपकरणों (प्रेस, हीटर, केतली, इंडक्शन आदि) के उपयोग की घोषणा करनी होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
- **पानी की मोटर और कॉमन लाइट्स:** शुल्क सभी निवासियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा (मासिक या उपयोग के आधार पर तय किया जाएगा)। वर्तमान में, पानी की मोटर और कॉमन लाइट्स के लिए प्रत्येक निवासी से कोई राशि नहीं ली जा रही है।
- **भवन रखरखाव:** प्रत्येक निवासी से भवन रखरखाव के लिए शुल्क लिया जाएगा, जिसमें छोटी-मोटी मरम्मत, कीट नियंत्रण, सेप्टिक टैंक की सफाई और साझा क्षेत्रों का रखरखाव शामिल है। हालाँकि, वर्तमान में नए निर्माण के कारण भवन रखरखाव के लिए कोई राशि नहीं ली जा रही है।
- **हाउसकीपिंग शुल्क:** प्रत्येक निवासी से हाउसकीपिंग शुल्क लिया जाएगा, जिसमें साझा क्षेत्र की सफाई और डस्टबिन से कचरे का निपटान शामिल है। अनुरोध पर कमरे की सफाई भी उपलब्ध है।
- **सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी शुल्क:** प्रत्येक निवासी से सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क सभी निवासियों के लिए अनिवार्य है, हालाँकि वर्तमान में सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के लिए कोई राशि नहीं ली जा रही है।

पीजी रेजिडेंट के हस्ताक्षर

□ 2. ड्रेस कोड (शालीनता नीति)

- पीजी निवासियों को शालीन और मौसम के अनुकूल कपड़े पहनने चाहिए।
- आम / साइज़ा पर जगहों और छत / बालकनी या पीजी बिल्डिंग के पास की गलियों में शरीर को दिखाने वाले, पारदर्शी, छोटे या शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है।
- पहनावे में गरिमा और साइज़ा जीवन के प्रति सम्मान झलकना चाहिए।

□ 3. व्यवहार संबंधी दिशानिर्देश

a. पड़ोसियों के साथ:

- प्रत्येक पीजी निवासी से पड़ोसियों के साथ विनम्र और सम्मानजनक संवाद बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
- प्रत्येक पीजी निवासी को अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए जिससे की असुविधा या शिकायत हो सकती है।
- प्रत्येक पीजी निवासी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालकनी या गलियारे में ऊंची आवाज में बात न की जाए, संगीत न बजाया जाए या बहस न की जाए।

b. रूम पार्टनर्स के साथ:

- प्रत्येक पीजी निवासी को अन्य रूम पार्टनर के साथ विनम्र, साफ-सुथरा और सहयोगात्मक होना चाहिए।
- प्रत्येक पीजी निवासी को अन्य रूम पार्टनर की निजता, सामान और साइज़ा जिम्मेदारियों (सफाई, शोर, आदि) का सम्मान करना चाहिए।
- किसी भी विवाद की सूचना तुरंत केयरटेकर और मालिक को दी जानी चाहिए।

□ 4. स्वच्छता एवं जल निकासी नियम

a. बाथरूम और सीवर ब्लॉकेज:

- सैनिटरी पैड, कपड़ा, डायपर या प्लास्टिक पॉलीथीन आदि को शौचालय में न बहाएँ।
- सैनिटरी पैड के लिए निर्धारित कूड़ेदान का उपयोग करें।
- यदि लापरवाही के कारण रुकावट होती है, तो ₹500 + वास्तविक प्लम्बर मरम्मत शुल्क का जुर्माना लगाया जाएगा।

b. रसोई सिंक और वॉशबेसिन:

- चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, तेल या ठोस कचरा सिंक में न डालें।
- कचरे के निपटान के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करें।
- यदि दुरुपयोग के कारण रुकावट होती है, तो ₹300 + वास्तविक प्लंबिंग मरम्मत शुल्क का जुर्माना लगाया जाएगा।

पीजी रेजिडेंट के हस्ताक्षर

□ 5. आगंतुक नीति

- आगंतुकों को केवल मालिक/केयरटेकर से पूर्व लिखित अनुमति के साथ ही अनुमति दी जाती है।
- पुरुष आगंतुकों को पीजी बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
- महिला आगंतुकों (रिश्तेदारों/मित्रों) को केवल दिन के समय (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक) अनुमति दी जा सकती है।

□ 6. प्रवेश / निकास और रात में बाहर जाने से संबंधित नीति

- **पीजी से बाहर निकलने/प्रवेश करने का समय:** सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक। मुख्य द्वार रात 10:00 बजे तक बंद हो जाएगा। रात 9:00 बजे के बाद प्रवेश और सुबह 6:00 बजे से पहले बाहर निकलने का रिकॉर्ड केयरटेकर के पास रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- **रात में बाहर जाना:** शाम 6 बजे से पहले सूचना देने पर ही रात में बाहर निकलने के लिए अनुमति दी जाएगी। वेबसाइट / मैसेज / व्हाट्सएप के माध्यम से आवश्यक अनुमति ली जा सकती है।
- **आपातकालीन निकास** की अनुमति केवल वैध कारण और पहचान सत्यापन के साथ ही दी जाएगी। सभी आपातकालीन निकासों को पीजी केयरटेकर के पास रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

□ 7. पुलिस सत्यापन एवं दस्तावेजों का रिकार्ड रखना

- सभी निवासियों/किराएदारों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा।
- पीजी में रहने के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
 - सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट की फोटोकॉपी)
 - दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो
 - रोजगार/कॉलेज का प्रमाण (आईडी कार्ड, ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर की फोटोकॉपी)
 - अभिभावक/माता-पिता का आपातकालीन संपर्क विवरण

□ 8. सामान्य आचार संहिता

- पीजी परिसर में कहीं भी धूमपान, शराब पीना, तंबाकू चबाना, जुआ खेलना या नशीली दवाओं का उपयोग करना सख्त वर्जित है।
- पीजी परिसर में तेज़ आवाज़ में संगीत बजाना, चिल्लाना या पार्टियाँ करना मना हैं।
- संपत्ति और फ़र्नीचर/फ़िक्चर को होने वाले नुकसान के लिए वास्तविक लागत पर शुल्क लिया जाएगा।
- निवासियों को साझा क्षेत्रों और कमरों को हर समय साफ़ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए।
- उच्च-वाट क्षमता वाले विद्युत उपकरणों के व्यक्तिगत उपयोग से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

□ 9. पीजी निवास समाप्ति की नीति

- पीजी प्रबंधन उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी निवासी के आवास को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यदि पीजी निवासी को दुर्व्यवहार या नियम उल्लंघन के कारण कमरा खाली करने के लिए कहा जाता है, तो जमा सुरक्षा राशि वापस नहीं की जाएगी।

✓ पीजी निवासी द्वारा घोषणा

- मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने ऊपर बताए गए सभी नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।
- मैं स्वीकार करता हूँ कि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना, बेदखली या बिना किसी धनवापसी के निवास रद्द किया जा सकता है।

नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____